

कमता एक ६-१/२०१६/अ-लेहतर
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संबंधीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम, २०१५ में संशोधन बाबत ।

मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम, २०१५ के नियम-६ में इन नियमों के परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुएं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से कय हेतु आरक्षित की गई हैं । मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से कय हेतु सामग्री आरक्षण की उत्तरोक्त व्यवस्था एतद् द्वारा समाप्त की जाती है ।

२. उपरोक्त संदर्भित परिशिष्ट "अ" में वर्णित वस्तुओं का कय कयकर्ताओं द्वारा नियम १.१० एवं ११ में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सीधे किया जा सकेगा । इन नियमों के अंतर्गत GeM पोर्टल के माध्यम से भी कय किया जा सकेगा । इन वस्तुओं की दरें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में कयकर्ता द्वारा निगम के माध्यम से भी सीधे कय किया जा सकेगा ।

३. उपरोक्त वस्तुओं अथवा अन्य अनारक्षित वस्तुओं का कय GeM पोर्टल से किए जाने की दशा में दरों की युक्तियुक्तता (Reasonability of Rate) कयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी । GeM पोर्टल से कय की स्थिति में कय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य रुपये ०५.०० लाख (रुपये पाँच लाख) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा कय किया जा सकेगा । इस दशा में निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) व निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) GeM के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएंगी ।

मध्यप्रदेश भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम, २०१५ को अद्यतन कर अधिसूचित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पंकज अग्रवाल)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग